

कार्यालय, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद

आदेश सं०/शि०स०/सम्बद्धता/ 3333-40

/2015-16 दिनांक 11 सितम्बर, 2015

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश सं० 1206/15-11-2015 शिक्षा अनुभाग-11 लखनऊ दिनांक 27.08.2015 द्वारा निजी संस्थान राफिया कालेज ऑफ एजुकेशन, बिसौली रोड, सहसवान, बदायूँ को शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, द्वारा दो वर्षीय बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2014-15 से 50 (पचास) सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

1. संस्थान द्वारा लगातार प्राभूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
2. जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्थान द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्थान पर एन०सी०टी०ई० तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाये जाने वाले नियम लागू होंगे।
3. नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
4. प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क अन्य कोई भी चार्ज परीक्षा की समय सारणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
5. सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत् चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थाई अभिलेख होंगे जिन्हें सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थाई रूप से रखा जायेगा।
6. संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद लखनऊ की वेबसाइट के साथ हाइपरलिंक रखी जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख वेबसाइट पर किया जायेगा।
7. प्रश्नगत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 07.05.2015 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति के आधार पर बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2014-15 से 50 (पचास) सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन०सी०टी०ई० के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी,
उ०प्र०, इलाहाबाद।

पृ०सं०/ शि०स०/सम्बद्धता/ 3333-40 /2015-16 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव, बेसिक शिक्षा, उ०प्र०, शासन लखनऊ।
2. विशेष सचिव, उ०प्र० शासन, शिक्षा अनुभाग -11 लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उ०प्र०, लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ०प्र०, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, चतुर्थ तल, जीवन निधि-II, एल०आई०सी० बिल्डिंग, भवानी सिंह मार्ग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर-302005 (राजस्थान)।
6. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, बदायूँ।
7. प्रबन्धक/सचिव राफिया कालेज ऑफ एजुकेशन, बिसौली रोड, सहसवान, बदायूँ।
8. गार्ड फाइल।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ०प्र०, इलाहाबाद।

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
उप सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,
उ०प्र०, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-11

लखनऊ, दिनांक 06 सितम्बर, 2016

विषय- निजी संस्थान राफिया कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सहसवान, प्लाट नं० 228 पी०डब्ल्यूडी० रोड, जनपद-बदायूं को बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निजी संस्थान राफिया कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सहसवान, प्लाट नं० 228 पी०डब्ल्यूडी० रोड, जनपद-बदायूं को शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो वर्षीय बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से एक यूनिट (50 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

- (1) संस्थान द्वारा लगातार प्राभूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
- (2) जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्णानुमति के बिना संस्थान द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्थान पर एन०सी०टी०ई० तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।
- (3) नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय-सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
- (5) सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत् चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा। संकाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थायी होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।
- (6) संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट के साथ हाइपरलिंक की जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख वेब-साइट पर किया जायेगा।
- (7) प्रश्नगत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 09.06.2016 से 10.06.2016 के कार्यवृत्त में की गई संस्तुति के आधार पर बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2016-17 से एक यूनिट (50 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन०सी०टी०ई० के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

संख्या- 13/9 (1)/15-11-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, हंस भवन, 01 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली, पिन-110002
- 2- क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, चौथी मंजिल, जीवन निधि-II एल०आई०सी० बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर, राजस्थान, पिन-302005।
- 3- सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 4- प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बदायूं।
- 5- सचिव/प्रबन्धक, राफिया कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सहसवान, प्लाट नं० 228 पी०डब्ल्यूडी० रोड, जनपद-बदायूं।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

कार्यालय, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद

आदेश सं०/सम्बद्धता/ 7977-84

/2016-17 दिनांक: 12 सितम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश सं० 1319/15-11-2016 शिक्षा अनुभाग-11 लखनऊ दिनांक 06.09.2016 द्वारा निजी संस्थान राफिया कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सहस्रवान, प्लॉट नं० 228 पी०डब्ल्यूडी० रोड, बंदायू को शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो वर्षीय बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से एक यूनिट (60 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

- (1) संस्थान द्वारा लगातार प्रामाण्य एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
- (2) जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्थान द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्थान पर एन०सी०टी०ई० तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।
- (3) नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय-सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
- (5) सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत् चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा। संकाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अनिलेख स्थायी होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।
- (6) संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट के साथ हाइपरलिंक की जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख वेब-साइट पर किया जायेगा।
- (7) प्रश्नगत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 09.06.2016 से 10.06.2016 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति के आधार पर बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2016-17 से एक यूनिट (60 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन०सी०टी०ई० के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उ०प्र०, इलाहाबाद।

पू०सं० / सम्बद्धता/

/2016-17 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव, बेसिक शिक्षा, उ०प्र०, शासन लखनऊ।
2. विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा, उ०प्र०, शासन, शिक्षा अनुभाग -11 लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद उ०प्र० लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ०प्र०, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, चतुर्थ तल, जीवन निधि-II, एल०आई०सी० बिल्डिंग, भवानी सिंह मार्ग अम्बेडकर सर्किल जयपुर-302005 (राजस्थान)।
6. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान बंदायू।
7. प्रबन्धक/सचिव, राफिया कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सहस्रवान, प्लॉट नं० 228 पी०डब्ल्यूडी० रोड, बंदायू।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उ०प्र०, इलाहाबाद।

प्रेषक,

पी०एन०सिंह
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,
उ०प्र०, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-11

लखनऊ, दिनांक 30 मई, 2017

विषय- निजी संस्थान राफिया कॉलेज ऑफ एजुकेशन, प्लॉट नं० 228 पी०डब्ल्यू०डी० रोड, ग्राम फतनपुर टप्पा हवेली, पो० सहसवान जिला बंदायू को बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि निजी संस्थान राफिया कॉलेज ऑफ एजुकेशन, प्लॉट नं० 228 पी०डब्ल्यू०डी० रोड, ग्राम फतनपुर टप्पा हवेली, पो० सहसवान जिला बंदायू को शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।

- (1) संस्थान द्वारा लगातार प्रभूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
- (2) जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है, उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्थान द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्थान पर एन०सी०टी०ई० तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाये जाने वाले नियम लागू होंगे।
- (3) नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय-सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
- (5) सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा। संकाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थायी होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद तथा प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।
- (6) संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट के साथ हाइपरलिंक की जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख वेब-साइट पर किया जायेगा।
- (7) प्रश्नगत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 07.10.2016 एवं 25.10.2016 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति तथा रिट पिटिशन (सिविल) संख्या 276/2012 में वैष्णो महिला महाविद्यालय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा आई०ए० नं० 9/2016 में पारित माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2016 के आलोक में लिए गये निर्णय के आधार पर बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2016-17 के स्थान पर शैक्षिक सत्र 2017-18 से एक यूनिट (50 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन०सी०टी०ई० के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

भवदीय,

(पी०एन० सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 264 (1)/15-11-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, हंस भवन, 01 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली, पिन-110002
- 2- क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, चौथी मंजिल, जीवन निधि-II एल०आई०सी० बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर, राजस्थान, पिन-302005।
- 3- सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 4- प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बंदायू।
- 5- सचिव/प्रबन्धक, राफिया कॉलेज ऑफ एजुकेशन, प्लॉट नं० 228 पी०डब्ल्यू०डी० रोड, ग्राम फतनपुर टप्पा हवेली, पो० सहसवान जिला बंदायू।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(पी०एन० सिंह)
संयुक्त सचिव।

कार्यालय: सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

कार्य क्रमांक/सम्बद्धता/

195

/2017-18

दिनांक 21 जून 2017

कार्यालय ज्ञाप

साक्षरता संख्या 864/15-11-2017 शिक्षा अनुभाग-11 लखनऊ, दिनांक 30.05.2017 द्वारा निजी संस्थान राफिया कालेज आफ एजुकेशन, प्लॉट नं०-228, पी०डब्ल्यू डी० रोड, ग्राम- फतनपुर टप्पा हवेली, पो०-सहसवान, जिला, बंदायू को साक्षरता द्वारा समयक विचारोपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो वर्षीय बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 के स्थान पर शैक्षिक सत्र 2017-18 से एक यूनिट (50सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जाती है-

- (1) संस्थान द्वारा लगातार प्राभूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
- (2) जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्थान द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्थान पर एन०सी०टी०ई० तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।
- (3) नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय-सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
- (5) सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत् चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा। संकाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थायी होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।
- (6) संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट के साथ हाइपरलिंक की जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख वेब-साइट पर किया जायेगा।
- (7) प्रसन्नगत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 07.10.2016 एवं 25.10.2016 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति तथा रिट भिटिशन (सिविल) संख्या 276/2012 में वैष्णो महिला महाविद्यालय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा आई०ए० नं० 9/2016 में पारित माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2016 के आलोक में लिए गये निर्णय के आधार पर बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2016-17 के स्थान पर शैक्षिक सत्र 2017-18 से एक यूनिट (50 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन०सी०टी०ई० के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

डा० (श्रीमती) सुत्ता सिंह
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ०प्र०, इलाहाबाद।

पू०सं०/सम्बद्धता/

4031-38

/2017-18 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उ०प्र०, शासन लखनऊ।
2. विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा, उ०प्र०, शासन, शिक्षा अनुभाग-11 लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उ०प्र०, लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ०प्र०, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय निदेशक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, चतुर्थ तल, जीवन निधि-11, एल०आई०सी० बिल्डिंग, भवानी सिंह मार्ग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर-302005(राजस्थान)।
6. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान- बंदायू।
7. प्रबन्धक/सचिव, राफिया कालेज आफ एजुकेशन, प्लॉट नं०-228, पी०डब्ल्यू डी० रोड, ग्राम फतनपुर टप्पा हवेली, पो०-सहसवान, जिला, बंदायू।
8. गार्ड फाइल।

डा० (श्रीमती) सुत्ता सिंह
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ०प्र०, इलाहाबाद।